नियम 28

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा मुकाम भादरा

निहालसिंह बनाम कलावती आदि

किस्म मुकदमा RTAct. 212 नं० 1/18 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
03.01.18	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिर्पोट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर..टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्राथीगण के विरूद्ध इस अमर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 11 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं0 31/25 के मु0 न0 62 के किला न0 16 व 25, मु0 न0 64 के किला न0 21 ता 24, 25/1, मु0 न0 65 के किला न0 1 ता 3, 4/1, 8/1, 8/2, 9 ता 12, 13/1, 13/2, मु0 न0 66 के किला न0 1 ता 15, मु0 न0 67 किला न0 5, 6, 15 कुल 8.500है0 बारानी कृषि भूमि को रहन,बैय व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल ना करें। इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29/1/18 .... को पेश है। RW सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)	
29/1/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। आज प्रार्थी निहालसिंह ने प्रा. पत्र पेश कर बाहमी राजीनामा होने से इस्तगासा अन्तर्गत धारा 212 RTAct इसी स्टेज पर खारीज करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी व प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 RTAct आदेश दिनांक 3-1-18 अपास्त किया जाता है तथा इस्तगासा 212 RTAct खारीज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। RW सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)	निर्णय [illegible] पहचानकर्ता [illegible] (नरेन्द्र [illegible])